न्यायालय सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू जिला जयपुर (राज0)

पीठासीन अधिकारी– श्री राजेन्द्र सिंह शेखावत आर.ए.एस.

राजस्व प्रार्थना–पत्र संख्या : 93/2016
प्रार्थना–पत्र दायरी दिनांक : 22/07/2016
निर्णय दिनांक : 27/01/2021

1. विवेक पुत्र श्री मामराज जरिये नाबालिग संरक्षिका माता श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि मामराज जाति मीणा निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयुपर राज0
2. कविता पुत्री मामराज जरिये नाबालिग संरक्षिका माता श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि मामराज जाति मीणा निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयुपर राज0
3. मुस्कान पुत्री मामराज जरिये नाबालिग संरक्षिका माता श्रीमति इन्द्रा देवी पत्नि मामराज जाति मीणा निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयुपर राज0

——प्रार्थीगण

बनाम

1. मामराज पुत्र रूपनारायण जाति मीणा, निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
2. रूपनाराण पुत्र प्रताप जाति मीणा, निवासी बोराज तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
3. गुल्ली देवी पुत्री नानूराम पत्नि हरिराम जाति कुमावत निवासी गाडोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
4. मुन्नी देवी पुत्री नानूराम पत्नि भोपाल जाति कुमावत निवासी गाडोता तहसील मौजमाबाद हाल निवासी जगमालपुरा तहसील फुलेरा जिला जयपुर राज0
5. शांति देवी पत्नि रामेश्वर जाति कुमावत निवासी गाडोता तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0
6. तहसीलदार तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर राज0

——अप्रार्थीगण

प्रार्थना–पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

उपस्थिति – **श्री संजय सिंह सिरोही**
विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी
श्री नारायणसहाय पारीक
विद्वान अधिवक्ता अप्रार्थी संख्या 4 व 5
अप्रार्थी संख्या 6 की ओर से पैरोकार उपस्थित।

निर्णय दिनांक 27/01/2021

सहायक कलक्टर
(फास्ट ट्रेक) दूदू

—: निर्णय :—

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा विरूद्ध अप्रार्थीगण इस आशय का पेश किया कि आराजी खतौनी संख्या 288 के आराजी खसरा नम्बर 937, 938, 939 कुल किता 3 कुल रकबा 0.6500 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 289 के आराजी खसरा नम्बर 986 लगायत 992 कुल किता 7 कुल रकबा 1.1500 हैक्टेयर वाके ग्राम देवला तहसील मौजमाबाद जिला जयपुर में स्थित है जो वर्तमान में अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 के नाम से दर्ज चली आ रही है जबकि उक्त आराजी पर तन्हा प्रार्थीगण की और से उनकी माता इन्द्रा देवी काबिज काश्त है। मौके पर अप्रार्थीगण का कोई कब्जा काश्त नही है। क्योकि अप्रार्थी संख्या 1 नौकरी करता है और अपने वृद्व पिता के साथ शराब का सेवन करता है एवं अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 गांव में निवास नही करती है एवं समस्त आराजी अप्रार्थी संख्या 2 के नाम से दर्ज रही थी अब कैम्प मे गलत रूप से नामान्तकरण दर्ज करवा लिया जिसकी जानकारी प्रार्थीगण को नही हो सकी क्योकि प्रार्थीगण नाबालिग है एवं प्राकृतिक संरक्षक दादा एवं पिता शराबी है जिस कारण से गलत रूप से आराजी अप्रार्थीगण के नाम से है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा बाई बर्थ होने से अपने हितो की सुरक्षार्थ एवं अप्रार्थीगण द्वारा गलत आचरण से आराजी को फरोख्त करना चाहते है जब कि सम्पूर्ण आराजी पर प्रार्थीगण की और से इन्द्रा देवी ही काबिज काश्त है। प्रार्थीगण के हितो की देखरेख कर रही है। एवं नानूराम को फौत हुये 18 वर्ष हो चुके है जिसके समस्त सामाजिक कियाकर्म अप्रार्थी संख्या 1 व 2 ने ही सम्पादित किये है। विवादित आराजी पूर्व मे नानूराम के नाम गलत दर्ज थी जिसकी डिकी भी माननीय न्यायालय द्वारा प्रार्थीगण के दादा के नाम से हो गयी थी लेकिन अब शराबी होने से प्रार्थीगण एवं सम्पत्ति दोनो का ही ख्याल नही रख रहे है इसी कारण से डिकी शुद्वा आराजी का बिना जानकारी के अंकन दिनांक 14/07/2016 को करवा लेने की प्रार्थीगण की माता इन्द्रा देवी को नकल नामांतकरण प्राप्त करने पर हुयी है प्रार्थीगण के हितो के विरूद्व अप्रार्थीगण द्वारा कार्य किया जा रहा है जबकि प्रार्थीगण नाबालिग है। विवादित आराजी में प्रार्थीगण का हिस्सा मौरूसी मुश्तर्का आराजी होने से बाई बर्थ हिस्सा दर्ज करवाने के अधिकारी है प्रार्थीगण का सम्पूर्ण आराजी में 1/5, 1/5, 1/5 हिस्सा व अप्रार्थी संख्या 1 व 2 का 1/5, 1/5 हिस्सा है अप्रार्थी संख्या 3, 4, 5 का कोई हिस्सा नही है एवं न ही आराजी से सम्बंध सरोकार नही है केवल इन्द्राज गलत रूप से करवा लिया है जो

सहायक कलेक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

हटाये जाने योग्य है। अप्रार्थी संख्या 1 लगायत 5 ने आराजी को विक्रय करने की ठान ली है मौके पर अजनबी व्यक्तियों को साथ लेकर आते है और ऐलानिया धमकी देते है कि आराजी को विक्रय करके ही दम लेंगे जिसके लिए दिनांक 14/07/2016 को बेदखल करने की धमकी दी है।

प्रार्थीगण ने प्रार्थना–पत्र के अन्य बिन्दूओं के साथ–साथ वाद कारण अंकित करते हुये दादरसी चाही कि "अतः प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा मय शपथ–पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान से निवेदन है कि प्रार्थी का प्रार्थना–पत्र स्वीकार फरमाया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द फरमाया जावें कि प्रार्थना–पत्र के वर्णित मद नम्बर 3 की आराजीयात में प्रार्थीगण के कब्जे काश्त में दखलबाजी न स्वय करें, न अन्य किसी नौकर, चाकर एजेण्ट आदि से करावें तथा न किसी प्रकार का हस्तांतरण नही करे, न ही खुर्द बूर्द करें, न विवादित आराजीयात को रहन, बेय, मुन्तकिल करे, न कब्जे काश्त में मजामत पैदा करे, राजस्व रिकार्ड तथा मौके की यथास्थिति बनाये रखें।"

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया जाकर तलबी अप्रार्थीगण जारी की गयी। अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की ओर से श्रीनारायण सहाय पारीक एडवोकेट उपस्थित होकर जवाब पेश किया जो शामिल मिसल किया गया।

विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की बहस सुनी गयी।

हमने विद्वान अधिवक्ता प्रार्थी व अप्रार्थी संख्या 4 व 5 की बहस का ध्यानपूर्वक मनन किया। पत्रावली का गहनता से अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र, दस्तावेजात फोटो प्रति जमाबन्दी, अप्रार्थी संख्या 4 व 5 द्वारा प्रस्तुत जवाब एवं लिखित बहस का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

उपरोक्त अवलोकन से प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दू यथा प्रथम दृष्ट्या केस, सुविधा का सन्तुलन एवं अपूर्तनीय क्षति का विवेचन निम्न प्रकार से है :–

<u>प्रथम दृष्ट्या केस</u> – प्रकरण में प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत जमाबन्दी सम्वत 2071 से 2074 के खाता संख्या 288, 289 वाके ग्राम देवलां की आराजी अप्रार्थी संख्या 1 व 3 ल. 5 के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज है, इस प्रकार अप्रार्थीगण संख्या 1 व 3 ल. 5 विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जबकि प्रार्थीगण द्वारा प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पेश कर विवादित आराजीयात में अपना हक व हिस्सा बताते हुये अप्रार्थीगण को पाबन्द करवाना चाहा हैं। इस सम्बन्ध में पत्रावली के अवलोकन से यह

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक) दूदू

पाया जाता है कि प्रार्थीगण द्वारा वाद व प्रार्थना–पत्र अपने पिता एवं दादा के विरूद्ध पेश किया है विवादित आराजीयात में प्रार्थीगण के हकों का निर्धारण मूल वाद के निस्तारण पर हो सकेगा, लेकिन वर्तमान में अप्रार्थीगण जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिनको यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे विवादित आराजीयात का दौराने वाद हस्तान्तरण कर सकते है, ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या केस प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>सुविधा का सन्तुलन</u> – यह कि चूंकि वर्तमान में अप्रार्थीगण जो कि विवादित आराजीयात के रिकार्डेड खातेदार काश्तकार है, जिनको यदि अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द नही किया गया तो वे विवादित आराजीयात का दौराने वाद हस्तान्तरण कर सकते है जिससे प्रार्थी को अपूर्तनीय क्षति होगी एवं प्रकरण में बेवजह पेचीदगीयां बढेगी। ऐसी स्थिति में अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जाना उचित प्रतीत होता हैं। इस प्रकार सुविधा का सन्तुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाया जाता हैं।

<u>अपूर्तनीय क्षति</u> – चूंकि प्रथम दृष्ट्या केस एवं सुविधा का सन्तुलन उक्त दोनों बिन्दू प्रार्थीगण के पक्ष में बनना पाये जाते है, ऐसी स्थिति में अपूर्तनीय क्षति भी प्रार्थीगण के पक्ष में प्रबल होना पायी जाती हैं।

इस प्रकार उपरोक्त विवेचन से प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा के तीनों बिन्दूओं को प्रार्थीगण ने बखूबी साबित किया हैं। ऐसी स्थिति में प्रार्थीगण का प्रार्थना–पत्र स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत होता हैं।

अतः प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण को ताफैसला मूल वाद पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी खतौनी संख्या 288 के आराजी खसरा नम्बर 937, 938, 939 कुल किता 03 कुल रकबा 0.6500 हैक्टेयर एवं खतौनी संख्या 289 के आराजी खसरा नम्बर 986 ल. 992 कुल किता 07 कुल रकबा 1.1500 हैक्टेयर वाके ग्राम देवलां, तहसील मौजमाबाद, जिला जयपुर को रहन बेय मुन्तकिल नही करें तथा राजस्व रिकार्ड व मौके की यथावत स्थिति बनाये रखें। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

आदेश आज दिनांक 27/01/2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

मुद्रा

सहायक कलक्टर (फास्ट ट्रेक)
दूदू (जयपुर)